

'मजदूर समाचार' की कुछ साप्री अंग्रेजी में इन्टरनेट पर है। देखें—

< <http://faridabadmajdoorsamachar.blogspot.com> >

ठाक पता : मजदूर लाईब्रेरी,
आटोपिन झुग्गी, एन.आई.टी.
फरीदाबाद - 121001

अगस्त 2010

ग्रामीण गरीबों के खिलाफ नया युद्ध

* नगर-महानगर की स्थापना। सड़क-रेलवे-बन्दरगाह-हवाई अड्डों का निर्माण। बाँध और नहरें। कारखाने, खदानें, तेल-गैस के कुरें। चाय-कॉफी-रबड़ के बागान। गेहूं, मक्का, सोयाबीन, धान, कपास, गन्ने के हजारों एकड़ के फार्म। सेव-सन्तर-केले-अंगूर-बादाम के बाग। ऊन-दूध-मौस के लिये हजारों भेड़-गाय-सूअर-मुर्गी वाले फार्म। सेनाओं के लिये छावनियाँ और प्रशिक्षण तथा युद्ध अभ्यास के लिये स्थान। राजी से हो चाहे गैर-राजी से, यह सब जमीनों से बेदखली लिये हैं। और, यह सब मण्डी-मुद्रा के विस्तार तथा प्रभुत्व के लिये अनिवार्य आपश्यकताओं में है।

मण्डी और मुद्रा नियमों तथा अनुशासन की माँग करते हैं। इसलिये मण्डी कानून के राज की माँग करती है। कानून का राज मानी मण्डी का राज। जमीन छीनने, जमीन से बेदखली के लिये कानून, भूमि अधिग्रहण कानून। इन तीन सौ वर्ष के दौरान निवासियों-मेहनतकशों से जमीनें छीनने के लिये संसार-भर में अभियान चले हैं, चल रहे हैं। विरोध बढ़ने पर जगह-जगह कानून के राज ने सेना का प्रयोग किया है, युद्ध का सहारा लिया है। "सम्यता की स्थापना के लिये जमीन लेना" की जगह अब "प्रगति और विकास के लिये जमीन लेना" मण्डी-मुद्रा का नारा है। विस्थापन के खिलाफ अनेक रूपों में निवासी-मेहनतकश विरोध कर रहे हैं और विश्व के अनेक क्षेत्रों में सरकारें इस-उस "आतंकवाद" के खिलाफ यद्ध कर रही हैं, जमीनें छीन रही हैं।

* इस उपमहाद्वीप की बात करें। कानून के राज की स्थापना, पुनः स्थापना कहना अधिक सटीक होगा, के पश्चात 1884 वाला भूमि अधिग्रहण कानून बना। सैनिक छावनी, सड़क, रेलवे, कारखानों, खदानों, प्रशासनिक स्थल के लिये 1757 से 1947 के दौरान बहुत जमीन छीनी गई थी — लोहा और इस्पात कारखाने की स्थापना के लिये 1907 में सरकार ने जमशेद टाटा को कई गाँवों की जमीन दी थी। फिर भी, उन दो सौ वर्ष में जितनी जमीन ली गई थी उससे बहुत ज्यादा इन 60 वर्ष में पुलिस-सेना, बाँध, रेलवे, सड़क, कारखानों, नगर, विस्तार के लिये ली गई है। यह मण्डी-मुद्रा के तीव्रतर विस्तार और बढ़ते प्रभुत्व का ही बयान है। और, "बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपैया" मण्डी-मुद्रा द्वारा दी

जाती पीड़ा की एक अभिव्यक्ति मात्र है।

कानून के राज को मजबूत आधार देने के लिये 1935 में गवर्नरमेन्ट ऑफ इण्डिया एक बनाया था जिसका अधिक कॉइंड्या तथा पैनाघातक स्वरूप भारत का संविधान है। वनों का सरकारीकरण बहुत-ही बड़े पैमाने पर करोड़ों लोगों से जमीन और वनों पर अधिकार छीनना था। संविधान के तहत हुई इस विशाल-व्यापक बेदखली का पता लोगों को वन विभाग तथा पुलिस के बढ़ते दमन-शोषण से धीरे-धीरे चला। घुम्कड़ पशुपालकों और वनवासियों को कानून के राज का चाबुक हाँकने लगा। वन भूमि छीनने के चन्द वर्ष बाद ही सरकार ने पंचायती राज कानून बना कर फिर बहुत-ही बड़े पैमाने पर जमीन हथियाई। शामलात की जमीन, बणी, चरागाह, जोहड़-तालाब-पोखर के चारों तरफ की जमीन, सामुहिक भूमि की करोड़ों एकड़ सरकार ने भारत-भर में गाँववासियों से ले ली — पंचायत शब्द का प्रयोग बेहद कॉइंड्यापन दर्शाता है। सामुहिक भूमि दस्तकारों और किसानों के लिये बकरी, गाय पालना सहज बनाती थी। जलाऊ लकड़ी प्रदान करती यह भूमि बच्चों के खेलने के लिये व्यापक स्थान थी। सामुहिक भूमि के अपहरण ने दस्तकारों-किसानों के मजदूर बनने की गति बढ़ाई। इस भूमि की खेती के लिये नीलामी "पंचायत"-सरकार की आमदनी का एक जरिया बनी। मण्डी-मुद्रा का विस्तार गाँवों में बचे-खुचे भाईचारे पर चोटें मारने लगा।

* वैसे, आज भी 1884 के जमीन छीनने के कानून का प्रयोग भारत-भर में होता है। वाइसराय निवास (आज का राष्ट्रपति भवन) मालचा गाँव की जमीन पर बना है। नई दिल्ली बसाने के लिये 1910 में कई गाँवों की जमीनें छीनी गई थीं। विरोध..... विरोध हीथे कि मालचा गाँव के वारिसों को वर्ष में एक दिन आज भी अपने पुरखों को याद करने के लिये राष्ट्रपति भवन का एक छोटा गेट खोला जाता है। इन साठ वर्षों में दिल्ली देहात नाम मात्र का रह गया है, जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है अथवा वे बिक गई हैं।

शरणार्थियों के लिये..... बल्कि, कारखानों की स्थापना के लिये फरीदाबाद-बल्लभगढ़ कम्पलैक्स 28 गाँवों की जमीनों पर बना था। इधर नगर निगम की स्थापना और उसकी सीमा का विस्तार नित नये गाँवों की जमीनें निगल रहा

है। गुण्डांव शिकारियों को नई पसन्द है पर छूटा कोई जिला नहीं है। हरियाणा में 1884 के कानून के तहत भूमि अधिग्रहण के लिये नगर निगम व परिषद, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुड़ा), औद्योगिक क्षेत्र स्थापना के लिये एच एस आई आई डी सी, और बिल्डरों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र में सहायता के लिये डिपार्टमेन्ट ऑफ टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग है। कानून अनुसार जमीनें छीनने के लिये पुलिस का व्यापक प्रयोग हरियाणा सरकार करती है।

* इन दो-दाई सौ वर्ष के दौरान भारत-भर में बदहाल होते, बेदखल होते ग्रामीण गरीबों ने कई विद्रोह किये हैं। हालात के पुलिस के काबू से बाहर होते ही सेना का प्रयोग सामान्य बात रही है। इधर तीव्र से तीव्रतर और व्यापक होती जमीनों से बेदखली ग्रामीण गरीबों में गुस्से को बढ़ाती आई है। एक आंकलन अनुसार इन 60 वर्ष में 6 करोड़ लोग जमीनों से विस्थापित किये गये हैं। यह सामाजिक हत्या है। मजदूर लगा कर मण्डी के लिये उत्पादन की प्रतिद्वन्द्विता दस्तकारी तथा किसानी की सतत मौत लिये हैं, सामाजिक मौत लिये हैं। इन 60 वर्ष में यह 60 करोड़ किसानों-दस्तकारों को बेहाल कर चुकी है। ग्रामीण गरीब हों चाहे शहरी गरीब, इनके लिये कहीं कोई जगह नहीं है। गाँव से शहर और शहर से गाँव..... लगता है कि आत्महत्या करना अथवा मरने-मारने पर उतरना में चुनना ही बचा है। प्राचीन सम्यता के साम-दाम-दण्ड-भेद से दीक्षित आधुनिक कॉइंड्यापन के समस्त प्रयारों के बावजूद आज भारत में उल्लेखनीय क्षेत्र में ग्रामीण गरीब मरने-मारने पर उत्तर आये हैं। इसलिये सरकार ने तैयारी के बाद ग्रामीण गरीबों के खिलाफ नया युद्ध शुरू कर दिया है। (बाकी पेज चार पर)

इस क्षेत्र के ग्रामीण गरीबों को उस क्षेत्र के ग्रामीण गरीबों को मारने के लिये सरकार प्रशिक्षित कर रही है। जंगल-युद्ध प्रशिक्षण शिविरों में ट्रेनिंग दे कर और वर्दी पहना कर सरकार बड़ी सँख्या में गरीबों के मरने का प्रबन्ध कर रही है। पुलिस, सी आर पी, बी एस एफ, सेना में सिपाही कौन है? गरीबों के बच्चे। क्यों भर्ती होते हैं? मजबूरियाँ हैं। फैक्ट्रियों के मजदूर कौन है? गरीबों के बच्चे। कारखानों में क्यों खटते हैं? मजबूरियाँ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मरने-मारने को तैयार कौन है? गरीबों के बच्चे। गरीबों के

क्वानून है शोषण के लिये और छूट है क्वानून से परे शोषण की

कानून : ● 37-40 दिन काम करने पर 30 दिन की तनखा, अगले महीने की 7-10 तारीख तक दे ही देना; ● 8 घण्टे की ड्युटी, तीन महीने में 50 घण्टे से ज्यादा ओवर टाइम काम नहीं, ओवर टाइम का भुगतान वेतन की दुगुनी दर से; ● फैक्ट्री में हर मजदूर का कर्मचारी राज्य बीमा, ई.एस.आई. होनी चाहिये। मजदूर दो-चार दिन के लिये भर्ती की गई हो चाहे ठेकेदार के जरिये रखा गया हो – प्रत्येक मजदूर की ई.एस.आई. होनी चाहिये। फैक्ट्री में काम करते किसी मजदूर की ई.एस.आई. नहीं होने का मतलब है : कम्पनी तथा सरकार के अनुसार वह मजदूर फैक्ट्री में काम नहीं करता-करती।

पहली जुलाई से देय मैंहगाई भत्ता (डी ए) की घोषणा हरियाणा सरकार ने अगस्त के आरम्भ तक नहीं की है।

कल्पना फोरजिंग मजदूर : “प्लॉट 35-36 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में महीने के तीसों दिन 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में 400 मजदूर जे सी बी, मारुति सुजुकी, महिन्दा, हीरो होण्डा के हिस्से-पुर्जे और कल्पना के नाम से प्लास, पेचकस, पाना बनाते हैं। ऑपरेटरों का महीने में 150 से 225 घण्टे ओवर टाइम, भुगतान सिंगल रेट से। हैल्पर 200 हैं और इन्हें 12 घण्टे रोज पर 30 दिन के 5500 रुपये देते हैं। स्थाई मजदूर शायद ही कोई हो, ई.एस.आई. व.पी.एफ. भी 100-125 के ही हैं। पावर प्रेसों पर महीने में एक हाथ तो कट ही जाता है। एक्सीडेन्ट रिपोर्ट नहीं भरते। प्रायवेट में इलाज के बाद निकाल देते हैं। एम्बुलेन्स नहीं है। कैन्टीन नहीं है। एक चाय-मट्टी देते हैं 12 घण्टे में और 12 घण्टे बाद रोकते हैं तब रोटी के लिये 25 रुपये। चेयरमैन और उनके माई व बेटे सुबह 10% फैक्ट्री आ जाते हैं और रात 9 बजे जाते हैं। पीने का पानी खराब है। शौचालय गन्दे रहते हैं। एक मैनेजर गाली देता है।”

जी एल आटो पार्ट्स श्रमिक : “14 बी इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में काम करते 700 मजदूरों में से 600 को पाँच ठेकेदारों के जरिये रखा है। यह 600 हैल्पर हैं और इन में महिलाओं की तनखा 2700-3000 तथा पुरुषों की 3000-3500 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। दो शिफ्ट हैं 12-12 घण्टे की और सुबह 8½ बजे काम आरम्भ करने वालों को रात 11, रात 1, उसके बाद तक रोक लेते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। कम्पनी द्वारा इत्यं भर्ती को जून की तनखा 5 जुलाई को दी और ठेकेदारों के जरिये रखें वालों को 16 जुलाई को। यहाँ हीरो होण्डा, यायाहा, होण्डा मोटरसाइकिल तथा स्कूटी के हिस्से-पुर्जे बनते हैं।”

सेन्डेन विकास कामगार : “प्लॉट 65 सैक्टर-27 ए स्थित फैक्ट्री में 60 स्थाई मजदूर और चार ठेकेदारों के जरिये रखे 400 वरकर मारुति सुजुकी, टाटा, महिन्दा, हिन्दुस्तान मोटर, होण्डा कारों के लिये एयर कन्डीशनर बनाते हैं। सुबह 6½ से दोपहर 3 और दोपहर 3 से रात 11½ की दो शिफ्ट हैं पर वास्तव में ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों को सुबह 6½ से रात 7 बजे तक और दोपहर 3 से अगली सुबह 6½ बजे तक काम करना पड़ता है। इन 400 मजदूरों के लिये रविवार को भी 8 से 12 घण्टे ड्युटी करना अनिवार्य है। महीने में 200 घण्टे ओवर टाइम, भुगतान सिंगल रेट से। स्थाई मजदूर ओवर टाइम करने से इनकार कर रहे हैं। फरवरी में अपने 12 साथियों को बाहर छोड़ कर स्थाई मजदूर श्रम अधिकारी तथा मैनेजमेंट प्रतिनिधि

के इन आश्वासनों पर अन्दर गये थे कि सब को अन्दर ले लिया जायेगा और बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होगी। कम्पनी ने 8 निलम्बित को ड्युटी पर तो ले लिया पर अन्दर घरेलू जाँच चालू कर दी है और 4 बरखास्त मजदूर अब भी बाहर हैं।”

राजहैंस प्रेसिंग-राजहैंस इन्डस्ट्रीज वरकर : “एन एच 2 में अनाज गोदाम के सामने दो प्लॉटों में 400 से ज्यादा मजदूर होण्डा, मारुति सुजुकी, नील ऐटल, ओरियन्ट पैंखों के हिस्से-पुर्जे बनाते हैं। मशीन शॉपों में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं और बाकी विमागों में 12 घण्टे की एक शिफ्ट। ठेकेदार के जरिये रखे वरकर 300 से ज्यादा हैं और इन में पुरुष व महिला हैल्परों की तनखा 3200 तथा प्रेस ऑपरेटरों की 3500 रुपये। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। ई.एस.आई. व.पी.एफ. के 450-500 रुपये सब की तनखा से काटते हैं। ई.एस.आई. का कच्चा कार्ड सब को। छह महीने से पहले छोड़ने वालों को फण्ड के पैसे नहीं मिलते, ठेकेदार पी.एफ. फार्म भर कर ही नहीं देता। पावर प्रेसों पर हाथ कटते रहते हैं। हाथ कटने पर ई.एस.आई. ले जाते हैं।”

सॉई एक्सपोर्ट मजदूर : “प्लॉट 72 सैक्टर-31 स्थित फैक्ट्री में 70 स्थाई मजदूर, 180 कैजुअल वरकर और पाँच ठेकेदारों के जरिये रखे 150 मजदूर रोज 12 घण्टे कपड़ों की छपाई तथा सिलाई करते हैं। हैल्परों की तनखा 3000 रुपये, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। ठेकेदारों के जरिये रखे कारीगरों की तनखा 3800 और कैजुअलों में कारीगरों की 4214 रुपये। फैक्ट्री में प्रदूषण बहुत ज्यादा है।”

सनराइज टूलिंग सिस्टम श्रमिक : “प्लॉट 29 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में कैजुअल वरकरों की तनखा 3000 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। एक शिफ्ट 12 घण्टे की, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। एग्जास्ट पैखे नहीं हैं, सॉस लेने में भारी दिक्कत।”

श्री इंजिनियरिंग कामगार : “प्लॉट 102 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों में महिलाओं को 8 घण्टे रोज पर 30 दिन के 2500 और पुरुषों को 3100 रुपये। एक शिफ्ट है 12 घण्टे की, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। ई.एस.आई. व.पी.एफ. 200 मजदूरों में मात्र 18 के ही। यहाँ उच्चा और ओरियन्ट पैंखों के पुर्जे बनते हैं। जून की तनखा 22 जुलाई को जा कर दी। पीने का पानी खराब है। सुपरवाइजर गाली देते हैं।”

ब्रॉन लैबोरेट्री वरकर : “13 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित दवा फैक्ट्री में 14 स्थाई मजदूर और चार ठेकेदारों के जरिये रखे 200 वरकर काम करते हैं। एक ठेकेदार के जरिये रखे 50 मजदूरों

की तनखा 4214 रुपये है और ई.एस.आई. व.पी.एफ. हैं। तीन ठेकेदारों के जरिये रखे 150 मजदूरों की तनखा 2500-3000 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। जून की तनखा 15 जुलाई को दी।”

कौशिको मशीन टूल्स मजदूर : “प्लॉट 250 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में ठेकेदार के जरिये रखे 100 वरकरों की तनखा 2700-2800 रुपये। तनखा देरी से, 22 तारीख के बाद। अप्रैल में सरकारी अधिकारियों का छापा पड़ा तब ठेकेदार ने मजदूर फैक्ट्री से बाहर निकाल दिये थे।”

ग्लोबल ऑटो श्रमिक : “प्लॉट 27 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों को 12 घण्टे रोज पर महीने के 4800 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। पीने का पानी खराब। शौचालय बहुत गन्दे रहते हैं।”

महीने में एक बार छापते हैं, 8000 प्रतियाँ निःशुल्क बॉटने का प्रयास करते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

आई एम टी... (पेज चार का शेष)

विन्टेज एक्सपोर्ट मजदूर : “प्लॉट 6 सैक्टर-7, आई एम टी मानेसर स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट है। साताहिक छुट्टी नहीं है। हैल्परों को रोज 12 घण्टे पर 30 दिन के 5200 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। रात की पाली में हैं तो लगातार एक महीने तो रहना ही है। तनखा देरी से, 15 तारीख के बाद। छोड़ने पर किये काम के पैसों के लिये चक्कर करते हैं।”

ट्रेक कम्पोनेन्ट्स श्रमिक : “प्लॉट 21 सैक्टर-7, आई एम टी मानेसर स्थित फैक्ट्री में जुलाई माह में हाइड्रोलिक मशीन पर चार उँगली कटी, पावर प्रेस में आया डबल स्ट्रोक संयोग से बीच में रुक गया इसलिये चोट लगी पर हाथ कटा नहीं, पावर प्रेस पर सहायक की उँगली डाई में आई, पैर पर शीट गिरी..... कम्पनी अब पुराने वाले सुरक्षा उपाय सुधारने में लगी है पर सफल नहीं है क्योंकि इससे उत्पादन प्रभावित होता है। उत्पादन अथवा सुरक्षा में एक ही होगा। कम्पनी कह रही है : उत्पादन ज्यादा दो और अपने हाथ स्वयं बचाओ। निर्धारित उत्पादन नहीं दिया तो अगले दिन से मत आओ। जगह की बहुत कमी है और टोकरी जहाँ देते, पल्ले बिछाओ। यिर जाते हैं, पैर कटते हैं। सुबह 7 से सॉय 5½ तथा सॉय 5½ से अगली सुबह 5 की दो शिफ्ट हैं – भोजन की भारी दिक्कत। फैक्ट्री में 700 मजदूर काम करते हैं...“

गुडगाँव में मजदूर

इण्डिया बुल्स मजदूर : "448-49-50-51 उद्योग विहार फेज-5 स्थित मुख्यालय में कम्पनी के 3500 लोग काम करते हैं। शेयर मार्केट, बिजली उत्पादन, रियल एस्टेट में दखल वाली फाइनैन्स क्षेत्र की इण्डिया बुल्स ने मुख्यालय में सफाई के लिये 60, सुरक्षा के लिये 26, मेन्टेनेंस के लिये 15 मजदूरों को ठेकेदारों के जरिये रखा है। स्विफ्ट सेक्युरिटी के जरिये रखे गार्डों की 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट, साप्ताहिक छुट्टी नहीं। रोज 12 घण्टे पर 30 दिन के 6200 रुपये। सात जुलाई को सुबह 8 से 8% गार्ड ड्युटी से हट गये तब कम्पनी बोली कि जुलाई की तनखा में 1000 रुपये बढ़ाये जायेंगे।"

भारत एक्सपोर्ट ओवरसीज श्रमिक : "493 उद्योग विहार फेज-3 स्थित फैक्ट्री में सुबह 9 बजे कार्य आरम्भ होता है। प्रोडक्शन विभाग वालों को रोज रात 8½ तक रोकते हैं और सप्ताह में 4 दिन रात एक बजे तक काम। फिनिशिंग विभाग में रोज रात 1 बजे तक रोकते हैं और महीने में 2-3 बार पूरी रात काम। रात 1, अगली सुबह 6 बजे तक रोकते हैं तब रोटी के लिये 25 रुपये देते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। साढ़े तीन सौ मजदूरों में किसी की भी ई.एस.आई.वी.पी.एफ. नहीं हैं – सिर्फ स्टाफ वालों की हैं। हैल्परों को 8 घण्टे के 130 रुपये और सिलाई कारीगरों को 180 रुपये..... 16 जुलाई को परसनल वालों ने प्रोडक्शन वरकरों को बेसमेन्ट में और फिनिशिंग वरकरों को पहली मंजिल पर एकत्र कर कहा कि 17 को बायर आ रहे हैं। वे पूछे तो कहना कि हैल्परों को 8 घण्टे के 162 और कारीगरों को 270 रुपये हैं, ओवर टाइम नहीं होता, ई.एस.आई.वी.पी.एफ. सब की है। बायर आये और देख कर चले गये – मजदूरों से पूछा ही नहीं। शौचालय बहुत गन्दे रहते हैं।"

हुण्डई सुपरोन कामगार : "255 उद्योग विहार फेज-4 स्थित हुण्डई कार शोल्म में स्टाफ वाले कम्पनी के हैं और 200 मजदूरों को ठेकेदार के जरिये रखा है। तनखा 3500-4000 रुपये। जुलाई के दूसरे सप्ताह में श्रम निरीक्षक आया था – मजदूरों से बात ही नहीं की, अफसरों से मिल कर चला गया।"

लिबास एक्सपोर्ट वरकर : "357 उद्योग विहार फेज-4 स्थित फैक्ट्री में काम करता हूँ और मकान मालिकों के बारे में बात करना चाहता हूँ। डुण्डाहेड़ा और कापसहेड़ा में मकान मालिक कहता है कि उसके मकान में रहना है तो आटा-दाल-चावल व अन्य सामान उसकी दुकान से लेना होगा। भाव ज्यादा लगाते हैं..... नहीं लो तो कमरा खाली करो।"

ईस्टर्न मेडिकिट मजदूर : "196 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में कैजुअल वरकरों को जून की तनखा 20 जुलाई को दी। स्थाई मजदूरों की 8-8 घण्टे की तीन शिफ्ट हैं और कैजुअल वरकरों की 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से भी कम, 15 रुपये प्रति

घण्टा और मई के पैसे 11 जुलाई को दिये।"

ग्रापटी एक्सपोर्ट श्रमिक : "377 उद्योग विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री में 10 जुलाई को सिलाई कार्य बन्द कर दिया – 350 मजदूरों में से फिनिशिंग विभाग के 85 ही अब बचे हैं। हैल्परों को 8 घण्टे की बजाय 10 ½, घण्टे ड्युटी पर महीने के 4214 रुपये। सुबह 9½ से रात 8½ की शिफ्ट है और रात 2 बजे तक रोक लेते हैं। रात 2 बजे तक काम करवाते हैं तब चैकर का ओवर टाइम 7 घण्टे परन्तु हैल्पर का 5 घण्टे ही। मजदूरों में एक-दो के ही ई.एस.आई.वी.पी.एफ. हैं। यहाँ व्हाइट एण्ड कम्पनी, निम्नी मैजी, नोवा नोवा का माल बनता है। तनखा देरी से, जून की 15 जुलाई को दी। पानी खराब।"

ई ई एल कामगार : "402 उद्योग विहार फेज-3 स्थित फैक्ट्री में सुबह 8 से रात 8 और दिन के 11 से रात 10½ बजे की शिफ्टों में 175 मजदूर सीमेन्ट कारखानों की मशीनें बनाते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। कम्पनी की 509 फेज-2 वाली फैक्ट्री में 50 मजदूर सुबह 8½ से रात 8½ की शिफ्ट में काम करते हैं।"

रखेजा इन्टरप्राइज वरकर : "74 उद्योग विहार फेज-4 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 3300, जनरल चैकर की 4000 और सिलाई कारीगर की 4500 रुपये। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से भी कम, 16 रुपये 66 पैसे प्रति घण्टा। यहाँ जैकजैक का माल 700 मजदूर बनाते हैं जिन में मात्र 3 की ही ई.एस.आई.वी.पी.एफ. हैं। शौचालय गन्दे रहते हैं। कम्पनी की 744 फेज-5 वाली फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 3000 रुपये ही।"

सुरक्षा कर्मी : "हनुमान मन्दिर के पास, डुण्डाहेड़ा में कार्यालय वाली सारथी सेक्युरिटी गार्डों से 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में ड्युटी करवाती है, साप्ताहिक छुट्टी नहीं। प्रतिदिन 12 घण्टे पर 30 दिन के 5500 रुपये।"

सरगम एक्सपोर्ट मजदूर : "152, 153, 210 उद्योग विहार फेज-1, 224 फेज-4 तथा 540 फेज-5 में कम्पनी की फैक्ट्रियों में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन देते हैं। महीने में 100 घण्टे से ज्यादा ओवर टाइम, भुगतान दुगनी दर से। साहब बहुत गाली देते हैं और हैल्परों से हर महीने 500 रुपये रिश्वत लेते हैं। उत्पादन की बायर एच एण्ड एम है।"

भूरजी सुपरटैक श्रमिक : "272 उद्योग विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री में जून की तनखा आज 22 जुलाई तक नहीं दी है।"

प्रिमियम मोल्डिंग कामगार : "185 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 3500 रुपये। महीने में 80 घण्टे ओवर टाइम, भुगतान मात्र..... मात्र 6 रुपये प्रति घण्टा।"

एस एण्ड आर वरकर : "298 उद्योग विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री में सुबह 9 से रात 11 तक काम, रात 2 बजे तक भी रोक लेते हैं। रविवार को 9 से 6 जबरन काम, नहीं जाओ तो निकाल देते हैं। ओवर टाइम सिंगल रेट से भी कम, 17½ रुपये

प्रति घण्टा। शीशे की फिनिशिंग का काम है और कम्पनी जूते नहीं देती पर पहने नहीं हैं तो वापस जाओ। भोजन अवकाश में ही पानी पीने देते हैं और कभी-कभी फैक्ट्री के बाहर पानी ढूँढ़ना पड़ता है। शौचालय बहुत गन्दे रहते हैं।"

मोना डिजाइन मजदूर : "146 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में 500 मजदूर रोज सुबह 9 से रात 8 तक काम करते हैं, कभी-कभी नाइट भी लगती है। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से भी कम, 19 रुपये प्रति घण्टा।"

आई एम टी मानेसर

मुंजाल शोवा मजदूर : "प्लॉट 3 सैक्टर-6, आई एम टी मानेसर स्थित फैक्ट्री में 40-50 स्थाई मजदूर, 500 कैजुअल वरकर और 15-20 ठेकेदारों के जरिये रखे 1500 मजदूर तीन शिफ्टों में हीरो होण्डा, होण्डा, टी बी एस, सुजुकी मोटरसाइकिल तथा स्कूटी के शॉकर बनाते हैं। त्यीहारी छुट्टी के पैसे काट लेते हैं। फैक्ट्री 24 दिसम्बर से 1 जनवरी तक बन्द रहती है तब के पैसे नहीं देते। कैजुअल तथा ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को बोनस नहीं देते। महीने में 40 से 100 घण्टे ओवर टाइम, अधिकतर को 20 रुपये प्रति घण्टा तथा कुछ को 30 रुपये प्रति घण्टा अनुसार भुगतान। कैजुअलों का 6 महीने पर ब्रेक कर देते हैं और पुनः कैजुअल नहीं रखते, ठेकेदारों के जरिये लगते। ज्यादा मजदूर रखते हैं और काम कम है तो अन्दर जाने के बाद वापस भेज देते हैं – ठेकेदारों के जरिये रखे नये मजदूरों को महीने में 10 दिन वापस भेज देते हैं। दो हजार मजदूरों के लिये ठण्डे पानी के मात्र दो यन्त्र हैं, पंक्ति में खड़े होना पड़ता है – अधिकतर को नल का गर्म पानी पीना पड़ता है। शौचालय गन्दे रहते हैं।"

जेवेरियन श्रमिक : "प्लॉट 113 व 117 सैक्टर-3, आई एम टी मानेसर स्थित फैक्ट्री में 12 घण्टे की एक शिफ्ट में 150 मजदूर मारुति सुजुकी वाहनों के पुर्जे बनाते हैं। हैल्परों और दो वर्ष से मशीनें चला रहे ऑपरेटरों की तनखा 4214 रुपये। हैल्परों को ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से भी कम, 17½ रुपये प्रति घण्टा तथा ऑपरेटरों के 4 घण्टे को 6 घण्टे बना कर भुगतान। स्थाई मजदूर 14-15 ही हैं, बाकी सब कैजुअल वरकर हैं। बीस पावर प्रेस हैं, हाथ कटते रहते हैं, ई.एस.आई.भेज देते हैं। ठीक होने पर एक ऊँगली कटे तक को ड्युटी पर रख लेते हैं, उस से ज्यादा कटे को नौकरी से निकाल देते हैं। कम्पनी 12 घण्टे के दो रोन चार बार चाय देती है।"

कृष्णा मारुति कामगार : "आई एम टी मानेसर में मारुति सुजुकी के गेट नम्बर 4 के अन्दर स्थित फैक्ट्री की मोल्डिंग डिविजन में 250 मजदूर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में मारुति सुजुकी वाहनों के दरवाजे के अन्दर का प्लास्टिक फाइबर वाला हिस्सा तैयार करते हैं। ओवर टाइम सिंगल रेट से, 20 रुपये प्रति घण्टा। सब मजदूर दो ठेकेदारों (बाकी पेंज चार पर) फरीदाबाद मजदूर समाचार

दिल्ली में मजदूर

1 फरवरी 2010 से दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन प्रतिमाह इस प्रकार हैं: अकुशल श्रमिक 5272 रुपये (8 घण्टे के 203 रुपये); अर्ध-कुशल श्रमिक 5850 रुपये (8 घण्टे के 225 रुपये); कुशल श्रमिक 6448 रुपये (8 घण्टे के 248 रुपये)। स्टाफ में स्नातक एवं अधिक: 7020 रुपये (8 घण्टे के 270 रुपये)। पच्चीस पैसे का पोस्ट कार्ड डालने के लिये एक पता: श्रम आयुक्त दिल्ली सरकार; 5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054।

दिल्ली मैट्रो रेल मजदूर : “स्टेशनों पर सफाई के लिये दिल्ली मैट्रो ने हाउस कीपिंग विभाग में मजदूरों को ए टू जैड, केशव, ऑल सर्विसेज, प्रहरी आदि टेकेदारों के जरिये रखा है। हर मैट्रो स्टेशन पर बोर्ड पर प्रतिदिन के हिसाब से तनखायें लिखी थीं। जो लिखी थीं वो तनखा माँगी तो कहीं गरलिखे पर कागज की पट्टी चिपका दी और कहीं से बोर्ड ही हटा दिया। इस वर्ष फरवरी से अकुशल श्रमिक के लिये भी दिल्ली में 8 घण्टे के 203 रुपये कम से कम निर्धारित हैं। जबकि, दिल्ली मैट्रो रेल में सफाई कर्मियों को 8 घण्टे के 100 रुपये दे रहे थे — मई माह से 8 घण्टे के 120 रुपये किये हैं। साप्ताहिक छुट्टी नहीं है। रोज 8 घण्टे काम करने पर 30 दिन के अब 3600 रुपये देते हैं।”

कंगारू प्रिन्टिंग प्रेस श्रमिक : “34 डी एस आई डी सी ओखला फेज-2 स्थित फैक्ट्री में प्रेसों पर 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। कटिंग व बाइंडिंग में सुबह 9 से रात 9 की शिफ्ट है और रात 2 बजे तक रोक लेते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। इंकमैन व कटिंगमैन की तनखा 3000, फीडरमैन की 4000, ऑपरेटर की 6000 रुपये। बाइंडिंग हैल्परों को 8 घण्टे के 70-80 रुपये और फोल्डरों को 125-150 रुपये। ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं।”

पुष्टा इन्टरनेशनल कामगार : “डी-6/1 ओखला फेज-2 स्थित फैक्ट्री में 20 महिला मजदूरों की तनखा 2500 रुपये। तीस पुरुष मजदूरों की तनखा 3000-4000 रुपये। ई.एस.आई. व पी.एफ. 60 मजदूरों में 10 के हैं और उनकी तनखा 6000 रुपये। यहाँ घड़ियों के डायल बनते हैं।”

आयुष कम्प्युटर इम्ब्राइड्री वरकर : “डी डी ए शेड 35, ओखला फेज-2 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। साप्ताहिक अवकाश नहीं। रोज 12 घण्टे पर हैल्परों को 30 दिन के 4000 और ऑपरेटरों को 5500-6000 रुपये। काम का भारी दबाव है। ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं।”

ग्रामीण गरीबों के खिलाफ नया युद्ध (पेज एक का शेष)

बच्चों में तालमेल से क्या होगा? गरीबी के कारण, मजबूरियों की जड़े दिखने लगेंगी और नव निर्माण की राहें खुलेंगी।

* सेना..... पावित्र गऊ। वैसे दिल्ली में इण्डिया गेट, मुम्बई मैंगेट वे ऑफ इण्डिया, सेना की टुकड़ियों की सौंवीं-डेढ़ सौवीं-दो सौवीं जयन्ती इनकी राष्ट्रीय शार्म के प्रतीक हैं पर यह है कि इनकी पूजा-अर्चना करते हैं, दीप प्रज्ज्वलित करते हैं। निर्लज्जता कह सकते हैं फ्रान्स में जा कर कब्बों पर फूल चढ़ाना। परन्तु यह सामाजिक प्रक्रिया से ध्यान हटाने के काम ही करेंगे। तथ्य यह है कि मण्डी-मुद्रा का वर्चस्व उपमहाद्वीप में, विश्व के विशाल क्षेत्रों में यूरोप से 100-200 वर्ष बाद में स्थापित हुआ। इसने एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमरीका में उपरोक्त प्रकार के अजूबों को जन्म दिया है। सामाजिक प्रक्रिया देश-राष्ट्र को विगत की वस्तुयें बना चुकी हैं। मजदूरों का कोई देश नहीं होता, गरीबों का कोई देश नहीं होता।

* ग्रामीण गरीब हों चाहे शहरी गरीब, दुनिया-भर के गरीब अब और सहन करने से इनकार कर रहे हैं, मुखर इनकार कर रहे हैं। इस कारण विश्व-व्यापी उथल-पुथल है। गरीबों के उभार को कुचलने के लिये सब सरकारें एकजुट हो रही हैं, सेनाओं का प्रयोग कर रही हैं और इसे “आतंकवाद” के खिलाफ युद्ध प्रचारित कर रही हैं। ग्रामीण गरीबों के विद्रोह वर्तमान को दफा करने और नई समाज रचना के प्रयासों के लिये विश्व-भर में उपयुक्त परिस्थितियों के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। यहाँ अधिकतर फैक्ट्री मजदूर दस्तकार, किसान अथवा देहाती मजदूर की औलाद हैं। यह समय ग्रामीण गरीबों से इन सम्बन्धों को पुरखा करने का है। इसलिये भारत सरकार के ग्रामीण गरीबों के खिलाफ नये युद्ध का विरोध करना बनता है। आईये, मण्डी-मुद्रा और आज इसकी मुख्य अभिव्यक्ति, मजदूरी-प्रथा पर प्रश्न-चिन्ह लगायें।■

आई एम टी मानेसर (पेज तीन का शेष)

के जरिये रखे हैं, स्टाफ के 25-30 लोग ही स्थाई हैं। हैल्पर हो चाहे ऑपरेटर, सब को अकुशल श्रमिक ग्रेड। दो-तीन वर्ष पुराने ऑपरेटरों को 200-300 रुपये ज्यादा देते हैं और इन्हें रविवार को ओवर टाइम। पूर्ण उपस्थिति पर 350 रुपये, एक भी छुट्टी होने पर यह 350 काट लेते हैं।

कुमार प्रिन्टर्स वरकर : “प्लॉट 24 सैक्टर-5, आई एम टी मानेसर स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं, रविवार को 8 घण्टे की एक शिफ्ट। सुबह 8 से रात 8 की शिफ्ट में जबरन रात 1 बजे तक रोकते हैं, पूरे सप्ताह जबरन रोकते हैं। इस से भारी परेशानी होती है। महीने में 175 घण्टे तक ओवर टाइम, सिंगल रेट से, 20 रुपये प्रति घण्टा। बारह घण्टे ड्युटी में 3 घण्टे को ही ओवर टाइम कहते हैं, भोजन-चाय के नाम पर एक घण्टा काट लेते हैं। फैक्ट्री में जगह-जगह कैमरे लगे हैं। यहाँ ऐनबैकसी, टीचर तथा मोरफस फ्लीर्स्की, इलिसेस सैन्ट, जिलेट रेजर, डेल्फी, चैम्पियन अन्डरवीयर आदि के लिये छपाई होती है, पैकिंग कार्टन बनते हैं। स्थाई मजदूर 70, कम्पनी कैजुअल 10-15 तथा दो टेकेदारों के जरिये रखे 200 वरकर हैं।”

(बाकी पेज दो पर)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे0 के0 आफसैट
दिल्ली से मुद्रित किया।

जुड़ने-जोड़ने के लिये

मजदूर समाचार तालमेल

* मिल कर कदम उठाने के लिये पहली जरूरत मिलने-जुलने के अवसरों की है। कारखानों में हम एकत्र होते हैं पर वहाँ सहज बातचीत पर अनेक रोक हैं। रोज 12-16 घण्टे की ड्युटियाँ और फिर आने-जाने में लगता समय, सब्जी-राशन लेना, पानी भरना, तेल-गैस के जुगाड़, भोजन बनाना अथवा बच्चों-पत्नी-पति के लिये समय। ऐसे में अधिकतर मजदूरों के लिये कहीं जा कर मिलने के लिये समय निकालना बहुत-ही मुश्किल है। ऐसे में मजदूर समाचार तालमेल अपना प्रारम्भिक कार्य बरितयों में मिलने-जुलने के लिये स्थानों का प्रबन्ध करने को बना रहा है।

* संगठन में कोई पद नहीं होंगे। स्थाई मजदूर, कैजुअल वरकर, टेकेदारों के जरिये रखे जाते मजदूर, कर्मचारी, सब मजदूर संगठन के सदस्य बन सकते हैं। निजी स्तर पर आर्थिक सहयोग का स्वागत करेंगे परन्तु संस्थाओं से पैसे नहीं लिये जायेंगे।

* मजदूर समाचार तालमेल पंजीकरण नहीं करवायेगा। कम्पनियों-सरकारों से संगठन बहस नहीं करेगा, उन्हें समझाने की कोशिशों नहीं करेगा, अधिकारियों के साथ समझौता वार्तायें नहीं करेगा। आमतौर पर संगठन प्रतिक्रियायें नहीं देगा। हम अपने हिसाब से कदम उठायेंगे और प्रतिक्रियायें देना कम्पनियों-सरकारों के पाले में रहने देंगे।

* हम आशा करते हैं कि कुछ महीनों में मिल कर कदम उठाने की वो स्थितियाँ बन जायेंगी कि सदस्य व अन्य मजदूर छोटी-छोटी राहत हासिल कर सकेंगे।

* भारत सरकार के अधीन न्यायालयों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। ...

* आम मजदूर जो आसानी से कर सकते हैं वो करने के लिये उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

* संगठन पूरे विश्व में मजदूरों की पहलकदमियों के संग खासकरके और जनता की पहलकदमियों के संग आमतौर पर तालमेलों के लिये विशेष प्रयास करेगा।

बैठकें :

- सी एन 49 पहली मंजिल (गोपाल ज्वैलर्स के सामने) अल्ला मोहल्ला, तेखण्ड - ओखला, दिल्ली।
- वीरवार को गायकवाड नगर (फरीदाबाद-न्यू टाउन स्टेशन के पास)।
- रविवार को प्लॉट नं. 108, पुराने सरकारी स्कूल की बगल में, मुजेसर (फरीदाबाद)।
- देशराज (कालू) का मकान, तालाब के पास, रामपुरा, गुडगाँव।
- कमरा नं. 25 लक्खीराम का मकान, गली नम्बर-6, कापसहेडा, दिल्ली।
- मकान नम्बर 24, राजस्थान कॉलोनी, संजय मैमोरियल नगर, एन.एच. 4 फरीदाबाद।